भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः88
22 नवम्बर, 2011 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दवाइयों के उपयोग पर प्रतिबंध

88. **डा॰ राम प्रकाशः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों में सरकार ने किस–किस दवा पर उनके कुप्रभावों को देखते हुए प्रतिबंध लगाया है; और

(ख) क्या सरकार विदेशों में प्रतिबंधित कुछ अन्य दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है?

उ त्त र
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)

(क): सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित औषधों के विनिर्माण एवं विपणन को प्रतिबंधित/निलंबित किया है:

1. पशु के उपयोग के लिए डिक्लोफेनेक एवं इसके फार्मूलेशन
2. रीमोनेबेंट
3. रोसीगलिटाजॉन
4. 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमेसुलाइड फार्मूलेशन
5. मानव के उपयोग के लिए सिसाप्राइड एवं इसके फार्मूलेशन
6. मानव के उपयोग के लिए फेनाइल प्रोपेनोलेमाइन एवं इसके फार्मूलेशन
7. मानव उपयोग के लिए ह्यूमन प्लेसेंटन एक्सट्रेक्ट एवं इसके फार्मूलेशन लेकिन जिसका निम्नलिखित के लिए उपयोग नहीं किया जाना है।
   (i) घाव भरने के लिए ट्रापिकल अनुप्रयोग और
   (ii) पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोग के लिए इंजेक्शन
8. मानव के उपयोग के लिए सिबूट्रेमाइन एवं इसके फार्मूलेशन
9. मानव के उपयोग के लिए आर-सिबूट्रेमाइन एवं इसके फार्मूलेशन
10. मुख एवं इंजेक्शन द्वारा सहित किसी भी मार्ग द्वारा मानव में चरणबद्ध उपयोग के लिए गेटिफ्लोक्सासीन फार्मूलेशन

11. टेगासेरॉड एवं इसके फार्मूलेशन
12. एनोबूलेटरी बॉझपन में ओवलेशन के इंडक्शन के लिए लेट्रोजॉल

(ख): किसी भी औषध को प्रतिबंधित करने या वापस लेने का निर्णय सामान्यतया जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होता है जो कई कारकों अर्थात देश में रोग पैटर्न, अनुमति प्राप्त औषधों के संकेत एवं खुराक, किसी निर्धारित जनसंख्या में कतिपय जातिगत समूहों की भिन्न अनुक्रिया, सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता और औषध (औषधों) का समग्र सुरक्षा प्रोफाइल द्वारा प्रभावित होती है। ये स्थितियां विभिन्न देशों के लिए भिन्न होती हैं। यह लगातार एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है।